राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

कमांक एफ. 4(06)उप/2010 जयपुर,दिनांक: 23/6/14

अधिसूचना

इस विभाग के पत्र कमांक 4(16)उप/98 दिनांक 15.10.2004 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, भाखड़ा नहर क्षेत्र एवं गंग नहर क्षेत्र के अस्थायी काश्तकारों (टीसी लीज होल्डर्स) को टी.सी. पर आवंटित भूमि को नियमानुसार पुख्ता आवंटन करने के लिए छूट हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे, तथा इस विभाग के पत्र कमांक 4(6)उप/2010 दिनांक 15.7.2010 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 31.5.2011 तक बढाई गई थी।

ऐसे काश्तकारों को समस्त राशि एक मुश्त (एक किश्त में) जमा करवाने पर उपरोक्त छूट की अवधि को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.12.2014 तक बढ़ायी जाती है। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101402423 दिनांक 23.6.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

अधिप्रमाणित
वसुन्धरा राजे

भवदीय,

(राकेश राजोरिया)
शासन उप सचिव

वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज0।
2. उप सचिव, (बीसी) मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, राज0।
3. निजी सचिव, राजस्व मंत्री, राज0।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, राज0।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. उप महालेखाकार (एसआरए) राजस्व, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
8. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स, राज0।
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. उप पंजीयक, (एफएण्डए) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
12. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में अविलम्ब करवाकर प्रति भिजवाने का श्रम करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव